

श्रीमान तहसीलदार महोदय,

.....
जिला झुन्झुनूं।

विषय:- जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र की अनुज्ञा जारी करवाने के संबंध में ।

महोदय जी,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मैं प्राथी/प्रार्थीयाको मेरेका जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आज्ञा पत्र की आवश्यकता है जिसका विवरण निम्नानुसार है-

1. माता का नाम
2. पिता का नाम.....
3. जाति.....
4. निवासी.....
5. जन्मे बच्चे का/मृतक का नाम.....
6. जन्म/मृत्यु की दिनांक.....
7. 1. गवाह का नाम
(पड़ोसी/रिश्तेदार आदि का पूर्ण विवरण)
2. गवाह का नाम
(पड़ोसी/रिश्तेदार आदि का पूर्ण विवरण)
8. जन्मे बच्चे/मृतक का स्थान(अस्पताल या घर का पता).....
....

मैंने मेरे का आज दिनांक/...../..... से पूर्व किसी भी स्थान पर रजिस्ट्रार के पास जन्म/मृत्यु पंजीकरण नहीं करवाया है अब मुझे जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान जी से निवेदन है कि मुझे जन्म प्रमाण पत्र बनवाने हेतु आज्ञा पत्र जारी करवाने का आदेश फरमावे।

दिनांक...../...../.....

प्राथी/प्रार्थीया

नाम:-
पिता/पत्नी:-
जाति:-
निवासी:-
तहसील :-.....जिला:-.....

घर पर जन्म/मृत्यु होने का प्रमाण पत्र
(ए.एन.एम रिपोर्ट)

प्रारूप-2

प्रमाणित किया जाता है कि श्री.....पुत्र श्री.....जाति.....

....

का जन्म/मृत्यु दिनांक को ग्रामग्राम
पंचायततहसील नवलगढ जिला झुन्झुनूं राजस्थान में घर पर हुआ/हुई थी। इसकी
जांच पड़ोसियों को पुछने पर सही पाया गया। अतः आज्ञा पत्र जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

दिनांक..... / /

(हस्ताक्षर मय मोहर)

ए.एन.एम

जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969, (संशोधित) अधिनियम 2023 की धारा 13(3) व तत्सम बने राजस्थान जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2000, (संशोधित) नियम 2025 के नियम 9(3) के तहत कार्यपालक मजिस्ट्रेट से आदेश जारी कराने हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ पत्र का प्रारूप (नोटरी से सत्यापित कर प्रस्तुत करे)

शपथ कर्ता
की नवीनतम
कलर फोटो
स्व
हस्ताक्षरयुक्त

(एक वर्ष बाद जन्म की सूचना देने पर)

शपथ पत्र (जन्म)

मैं (आवेदक का नाम).....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री..... वर्तमान आयु.....वर्ष निवासी
(वर्तमान पूर्ण पता)..... (लड़का/लड़की/उभयलिंगी से सम्बन्ध लिखें).....
.....शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ कि:-

1. यह कि श्रीमती (माता का नाम).....ने एक जीवित लड़का/लड़की /उभयलिंगी जिसका नाम.....लिंग..... जन्म तिथि.....जन्म स्थान का पूर्ण पता.....
..... जन्म स्थान का वार्ड नं.....पिता का नाम..... बच्चे के जन्म के समय माता/पिता का पतामाता/पिता का स्थाई पता.....
.....को.....शहर/गाँव में जन्म दिया है।

- यह कि लड़का/लड़की/उभयलिंगी के आवश्यकतानुसार नाम व जन्म दिनांक के दस्तावेज और माता-पिता व मेरे नाम व पते के दस्तावेज संलग्न कर रहा/रही हूँ।
- यह कि शपथ पत्र पर मेरी वर्तमान फोटो चस्पा कर दी गई है।
- इस बच्चे का जन्म अस्पताल में नहीं हुआ था मेरे घर पर ही हुआ था।
- यह कि उक्त जन्म का पंजीयन आज दिनांक.....से पहले किसी के भी द्वारा एवं मैंने कहीं भी किसी भी रजिस्ट्रार/उपरजिस्ट्रार के पास दर्ज नहीं करवाया है और जन्म का प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया है ना ही भविष्य में कहीं दर्ज करवाऊँगा/ करवाऊँगी।

हस्ताक्षर शपथ ग्रहता/ग्रहिता या अंगूठा निशान

सत्यापन

मैं उपरोक्त.....शपथ ग्रहता/ग्रहिता सत्यापित करता/करती हूँ कि शपथ पत्र में अंकित सभी तथ्य सही व सत्य हैं। मेरे द्वारा दिये गये शपथ पत्र में किसी भी प्रकार की असत्यता नहीं है। अगर भविष्य में असत्यता पाई जाती है तो मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगा/रहूँगी। ईश्वर साक्षी है।

हस्ताक्षर शपथ ग्रहता/ग्रहिता या अंगूठा निशान

हस्ताक्षर मय मोहर
उत्तरदायी व्यक्ति
नाम
पता.....
पद.....
दिनांक.....

हस्ताक्षर मय मोहर
उत्तरदायी व्यक्ति
नाम
पता.....
पद.....
दिनांक.....

आदेश पत्र

उपरोक्तानुसार आवेदक द्वारा दिये गये शपथ पत्र के विवरण एवं दस्तावेजों के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त हल्फनामा मेरे समक्ष लिया गया है। जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969, (संशोधित) अधिनियम 2023 की धारा 13(3) एवं राजस्थान जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2000, (संशोधित) नियम 2025 के नियम 9(3) के अन्तर्गत घटना की शुद्धता का सत्यापन कर स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म-मृत्यु को यह आदेशित किया जाता है कि उक्त जन्म के विहित विलम्ब शुल्क रुपये 100/- लेकर रजिस्ट्रार/उप रजिस्ट्रार द्वारा दर्ज कर लिया जावे। मेरे हस्ताक्षर व मुहर से आज दिनांक.....को जारी किया गया।

जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969, (संशोधित) अधिनियम 2023 की धारा 13(3) व तत्सम बने राजस्थान जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2000, (संशोधित) नियम 2025 के नियम 9(3) के तहत कार्यपालक मजिस्ट्रेट से आदेश जारी कराने हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ पत्र का प्रारूप (नोटरी से सत्यापित कर प्रस्तुत करे)

(एक वर्ष बाद जन्म की सूचना देने पर)

शपथ पत्र (जन्म)

मैं (आवेदक का नाम).....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री..... वर्तमान आयु.....

वर्ष निवासी (वर्तमान पूर्ण पता)..... (लड़का/लड़की/उभयलिंगी से

सम्बन्ध लिखे).....शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ कि:-

शपथ कर्ता
की नवीनतम
कलर फोटो
स्व
हस्ताक्षरयुक्त

1. यह कि श्रीमती (माता का नाम).....ने एक जीवित लड़का/लड़की /उभयलिंगी जिसका नाम.....लिंग..... जन्म तिथि.....जन्म स्थान का पूर्ण पता..... जन्म स्थान का वार्ड नं.....पिता का नाम..... बच्चे के जन्म के समय माता/पिता का पतामाता/पिता का स्थाई पता.....को.....शहर/गाँव में जन्म दिया है।

- यह कि लड़का/लड़की/उभयलिंगी के आवश्यकतानुसार नाम व जन्म दिनांक के दस्तावेज और माता-पिता व मेरे नाम व पते के दस्तावेज संलग्न कर रहा/रही हूँ।
- यह कि शपथ पत्र पर मेरी वर्तमान फोटो चस्पा कर दी गई है।
- इस बच्चे का जन्म अस्पताल में नहीं हुआ था मेरे घर पर ही हुआ था।

5. यह कि उक्त जन्म का पंजीयन आज दिनांक.....से पहले किसी के भी द्वारा एवं मैंने कहीं भी किसी भी रजिस्ट्रार/उपरजिस्ट्रार के पास दर्ज नहीं करवाया है और जन्म का प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया है ना ही भविष्य में कहीं दर्ज करवाऊँगा/ करवाऊँगी।

हस्ताक्षर शपथ ग्रहता/ग्रहिता या अंगूठा निशान

सत्यापन

मैं उपरोक्त.....शपथ ग्रहता/ग्रहिता सत्यापित करता/करती हूँ कि शपथ पत्र में अंकित सभी तथ्य सही व सत्य हैं। मेरे द्वारा दिये गये शपथ पत्र में किसी भी प्रकार की असत्यता नहीं है। अगर भविष्य में असत्यता पाई जाती है तो मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगा/रहूँगी। ईश्वर साक्षी है।

हस्ताक्षर शपथ ग्रहता/ग्रहिता या अंगूठा निशान

हस्ताक्षर मय मोहर
उत्तरदायी व्यक्ति
नाम
पता.....
पद.....
दिनांक.....

हस्ताक्षर मय मोहर
उत्तरदायी व्यक्ति
नाम
पता.....
पद.....
दिनांक.....

आदेश पत्र

उपरोक्तानुसार आवेदक द्वारा दिये गये शपथ पत्र के विवरण एवं दस्तावेजों के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त हल्फनामा मेरे समक्ष लिया गया है। जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969, (संशोधित) अधिनियम 2023 की धारा 13(3) एवं राजस्थान जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2000, (संशोधित) नियम 2025 के नियम 9(3) के अन्तर्गत घटना की शुद्धता का सत्यापन कर स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म-मृत्यु को यह आदेशित किया जाता है कि उक्त जन्म के विहित विलम्ब शुल्क रुपये 100/- लेकर रजिस्ट्रार/उप रजिस्ट्रार द्वारा दर्ज कर लिया जावे। मेरे हस्ताक्षर व मुहर से आज दिनांक.....को जारी किया गया।

हस्ताक्षर कार्यपालक मजिस्ट्रेट मय मुहर

जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969, (संशोधित) अधिनियम 2023 की धारा 13(3) व तत्अधीन बने राजस्थान जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2000, (संशोधित) नियम 2025 के नियम 9(3) के तहत कार्यपालक मजिस्ट्रेट से आदेश जारी कराने हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ पत्र का प्रारूप (नोटेशी से सत्यापित कर प्रस्तुत करे)

(एक वर्ष बाद मृत्यु की सूचना देने पर)

शपथ पत्र (मृत्यु)

शपथ कर्ता
की नवीनतम
कलर फोटो
स्व
हस्ताक्षरयुक्त

- मैं (आवेदक का नाम).....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....
वर्तमान आयु.....वर्ष निवासी (वर्तमान पूर्ण पता).....
(मृतक से सम्बन्ध लिखें).....शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ कि:-
- यह कि मृतक का नाम.....मृतक का लिंग.....मृत्यु तिथि.....मृत्यु के
स्थान का पूर्ण पता.....मृत्यु स्थान का वार्ड नं.....मृतक
की माता का नाम.....(मृतक के पिता/पत्नी का नाम)
.....मृतक का मृत्यु के समय का पता.....मृतक का स्थाई पता ...
.....की मृत्युशहर/गाँव में हो गई है।
 - यह कि मृतक व मृतक के माता व पिता एवं मेरे नाम व पते के दस्तावेज संलग्न कर रहा/रही हूँ।
 - यह कि शपथ पत्र पर मेरी वर्तमान फोटो चस्पा कर दी गई है।
 - यह कि उक्त मृत्यु का पंजीयन आज दिनांक.....से पहले किसी के भी द्वारा एवं मैंने कहीं भी किसी भी
रजिस्ट्रार/उपरजिस्ट्रार के पास दर्ज नहीं करवाया है और मृत्यु का प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया है ना ही भविष्य में कहीं
दर्ज करवाऊँगा/ करवाऊँगी।

हस्ताक्षर शपथ ग्रहता/ग्रहिता या अंगूठा निशान

सत्यापन

मैं उपरोक्त.....शपथ ग्रहता/ग्रहिता सत्यापित करता/करती हूँ कि शपथ पत्र
में अंकित सभी तथ्य सही व सत्य हैं। मेरे द्वारा दिये गये शपथ पत्र में किसी भी प्रकार की असत्यता नहीं है। अगर
भविष्य में असत्यता पाई जाती है तो मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगा/रहूँगी। ईश्वर साक्षी है।

हस्ताक्षर शपथ ग्रहता/ग्रहिता या अंगूठा निशान

हस्ताक्षर मय मोहर
उत्तरदायी व्यक्ति

हस्ताक्षर मय मोहर
उत्तरदायी व्यक्ति

नाम
पता.....
पद.....
दिनांक.....

नाम
पता.....
पद.....
दिनांक.....

आदेश पत्र

पत्र उपरोक्तानुसार आवेदक द्वारा दिये गये शपथ पत्र के विवरण एवं दस्तावेजों के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त हल्फनामा मेरे समक्ष लिया गया है। जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969, (संशोधित) अधिनियम 2023 की धारा 13(3) एवं राजस्थान जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2000, (संशोधित) नियम 2025 के नियम 9(3) के अन्तर्गत घटना की शुद्धता का सत्यापन कर स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म-मृत्यु को यह आदेशित किया जाता है कि उक्त मृत्यु के विहित विलम्ब शुल्क रुपये 100/- लेकर रजिस्ट्रार/उप रजिस्ट्रार द्वारा दर्ज कर लिया जावें। मेरे हस्ताक्षर व मुहर से आज दिनांक.....को जारी किया गया।

हस्ताक्षर कार्यपालक मजिस्ट्रेट मय मुहर

जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969, (संशोधित) अधिनियम 2023 की धारा 13(3) व तत्अधीन बने राजस्थान जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2000, (संशोधित) नियम 2025 के नियम 9(3) के तहत कार्यपालक मजिस्ट्रेट से आदेश जारी कराने हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ पत्र का प्रारूप (नोटेशी से सत्यापित कर प्रस्तुत करे)

(एक वर्ष बाद मृत्यु की सूचना देने पर)

शपथ पत्र (मृत्यु)

शपथ कर्ता
की नवीनतम
कलर फोटो
स्व
हस्ताक्षरयुक्त

- मैं (आवेदक का नाम).....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....
वर्तमान आयु.....वर्ष निवासी (वर्तमान पूर्ण पता).....
(मृतक से सम्बन्ध लिखें).....शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ कि:-
- यह कि मृतक का नाम.....मृतक का लिंग.....मृत्यु तिथि.....मृत्यु के
स्थान का पूर्ण पता.....मृत्यु स्थान का वार्ड नं.....मृतक
की माता का नाम.....(मृतक के पिता/पत्नी का नाम)
.....मृतक का मृत्यु के समय का पता.....मृतक का स्थाई पता ...
.....की मृत्युशहर/गाँव में हो गई है।
 - यह कि मृतक व मृतक के माता व पिता एवं मेरे नाम व पते के दस्तावेज संलग्न कर रहा/रही हूँ।
 - यह कि शपथ पत्र पर मेरी वर्तमान फोटो चस्पा कर दी गई है।
 - यह कि उक्त मृत्यु का पंजीयन आज दिनांक.....से पहले किसी के भी द्वारा एवं मैंने कहीं भी किसी भी रजिस्ट्रार/उपरजिस्ट्रार के पास दर्ज नहीं करवाया है और मृत्यु का प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया है ना ही भविष्य में कहीं दर्ज करवाऊँगा/ करवाऊँगी।

हस्ताक्षर शपथ ग्रहता/ग्रहिता या अंगूठा निशान

सत्यापन

मैं उपरोक्त.....शपथ ग्रहता/ग्रहिता सत्यापित करता/करती हूँ कि शपथ पत्र में अंकित सभी तथ्य सही व सत्य हैं। मेरे द्वारा दिये गये शपथ पत्र में किसी भी प्रकार की असत्यता नहीं है। अगर भविष्य में असत्यता पाई जाती है तो मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगा/रहूँगी। ईश्वर साक्षी है।

हस्ताक्षर शपथ ग्रहता/ग्रहिता या अंगूठा निशान

हस्ताक्षर मय मोहर
उत्तरदायी व्यक्ति

हस्ताक्षर मय मोहर
उत्तरदायी व्यक्ति

नाम
पता.....
पद.....
दिनांक.....

नाम
पता.....
पद.....
दिनांक.....

आदेश पत्र

पत्र उपरोक्तानुसार आवेदक द्वारा दिये गये शपथ पत्र के विवरण एवं दस्तावेजों के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त हल्फनामा मेरे समक्ष लिया गया है। जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969, (संशोधित) अधिनियम 2023 की धारा 13(3) एवं राजस्थान जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2000, (संशोधित) नियम 2025 के नियम 9(3) के अन्तर्गत घटना की शुद्धता का सत्यापन कर स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म-मृत्यु को यह आदेशित किया जाता है कि उक्त मृत्यु के विहित विलम्ब शुल्क रुपये 100/- लेकर रजिस्ट्रार/उप रजिस्ट्रार द्वारा दर्ज कर लिया जावें। मेरे हस्ताक्षर व मुहर से आज दिनांक.....को जारी किया गया।

हस्ताक्षर कार्यपालक मजिस्ट्रेट मय मुहर

